

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव
पर वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	उरगा-पत्थलगौंव मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य हेतु कोरबा वनमण्डल रकबा 77.3042 हे.			
2	आवेदक /आवेदक विभाग का नाम	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कोरबा			
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	उरगा-पत्थलगौंव मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य			
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	कार्य स्थल	
		कोरबा	कोरबा		
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण				
	क. आरक्षित वन	निरंक		निरंक	निरंक
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	परिक्षेत्र	कक्ष कमांक	आवेदित रकबा (हे. में)	साईट क्वालिटी
	ग. आरंज वन भूमि	कोरबा	ओ.ए. 1302	0.5863	IVb
	घ. राजस्व वनभूमि		ओ.ए. 1303	1.8603	IVb
			ओ.ए. 1304	3.3685	III
			ओ.ए. 1305	6.0538	IVa
			राजस्व वनभूमि	2.2421	-
		करतला	पी 1014	8.1761	IVb
			पी 1034	7.7399	IVb
			पी 995	3.1250	IVb
			ओ.ए. 1451	4.1467	IVb
			ओ.ए. 1456	3.2064	IVa
			राजस्व वनभूमि	4.4169	-
		कुदमुरा	पी 1141	0.8631	IVb
			पी 1138	6.4573	IVb
			पी 1133	8.4598	IVb
			ओ.ए. 1429	2.0374	Va
			ओ.ए. 1428	1.0289	IVb
			ओ.ए. 1422	1.5933	Va
			ओ.ए. 1417	2.6478	Va
			ओ.ए. 1418	7.7545	IVb
			राजस्व वनभूमि	1.5401	-
			योग	77.3042	
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मध्यम			
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	साल, साजा, बीजा, खम्हार एवं मिश्रित प्रजाति के कुल 11276 गग वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, सूची संलग्न है।			

8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	न्यूनतम है।
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	प्रत्यावर्तित स्थल आवेदित क्षेत्र से लगा हुआ है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायो स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं
11	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	आवेदित वनक्षेत्र न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल - ग्राम कोटमेर, करतला एवं चचिया

दिनांक - 20.05.2023

वनमण्डलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल कोरबा